

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं०-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं०सं०-08/रा०आ०नि०-15/2018-.....

1408/आ.1991

दिनांक 23 दिसम्बर 19

प्रेषक,

डॉ० शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शिक्षा से जुड़े सुसंगत धाराओं के सभी विद्यालयों (सरकारी व निजी) द्वारा अनुपालन से सम्बन्धित शपथ पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शिक्षा से जुड़े सुसंगत धाराओं को संकलित करते हुए एक शपथ पत्र प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के राज्य अन्तर्गत सम्यक अनुपालन हेतु अधिनियम में शामिल शिक्षा से जुड़े सुसंगत धाराओं का अनुपालन आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के बिहार राज्य में अनुपालन स्थिति प्रतिवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर विविध मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार यथा समाज कल्याण विभाग की ओर से दायर किया जाना है तथा इन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाना है।

उक्त आलोक में अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप पर अपने जिले के सभी विद्यालयों (सरकारी व निजी) के सक्षम पदाधिकारी को शपथ पत्र समर्पित करने हेतु निदेशित करने की कृपा करें। साथ ही अनुरोध है कि जिले से सम्बन्धित सभी हस्ताक्षरित प्रारूप संकलित कर दिनांक-31.12.2019 के पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


अनु०-यथोक्त।

पत्रांक-सं०सं०-08/रा०आ०नि०-15/2018-.....

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
23/12/19
राज्य आयुक्त निःशक्तता
डॉ० शिवाजी कुमार
बिहार, पटना।
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना
दिनांक 23 दिसम्बर 19

23/12/19
राज्य आयुक्त निःशक्तता
डॉ० शिवाजी कुमार
बिहार, पटना।
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना



बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं०-0612-2215041, email-scdlsability2008@gmail.com
Website-www.scdlsabilities.org

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की विभिन्न सुसंगत धाराओं (शिक्षा से जुड़ा हुआ) के अनुपालन हेतु।

अनुपालन के सम्बन्ध में घोषणा/शपथ

1.	विद्यालय का नाम	
	पता एवं पिनकोड	
	मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल	
2.	प्राचार्य/निदेशक नाम	
	मोबाइल नम्बर	
	ई-मेल	
3.	विभिन्न सुसंगत धाराएँ - शिक्षा से सम्बन्धित	
	धारा संख्या	शीर्षक/विषय
		शपथ/घोषणा हाँ/नहीं एवं समय-सीमा
	धारा-3	Equality and non-discrimination-दिव्यांगजनों के साथ नामांकन में विभेद नहीं किया जाना है।
	धारा-16	Duty of educational institutions (शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य)
	धारा-17	Specific measures to promote and facilitate inclusive education-विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता इत्यादि।
	धारा-18	Adult education (प्रौढ़ शिक्षा)- प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाना एवं समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखना।
	धारा-21	Equal opportunity policy (समान अवसर नीति)-नियोजन में दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करना।
	धारा-30	Sporting activities (खेलकूद गतिविधियाँ)-दिव्यांगजनों को खेलकूद गतिविधियों में समावेशी अवसर प्रदान करना।
	धारा-31	Free education for children with benchmark disabilities (संदर्भित दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा)
	धारा-35	Incentives to employers in private sector (प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन)-पाँच प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन
	धारा-41	Access to transport (परिवहन तक पहुँच)-शिक्षण संस्थानों से जुड़े परिवहन साधनों तक दिव्यांगजनों की पहुँच।
	धारा-42	Access to information and communication technology (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच)
	धारा-44	Mandatory observance of accessibility norms (पहुँच सन्धियों का आज्ञापक रूप से अनुपालन)
	धारा-45	Time limit for making existing infrastructure and premises accessible and action for that purpose (विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा)
	धारा-46	Time limit for accessibility by service providers (सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुँच के लिए समय-सीमा)
	धारा-50	Registration (रजिस्ट्रीकरण)-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत निबंधन

क्र०प०३०.....

संरचना का विस्तृत विवरण (आवश्यकतानुसार अलग पृष्ठ संलग्न कर दें)

4. भवन, टायलेट, मैदान सम्बन्धी स्थिति	
5. टीचिंग एवं नन टीचिंग स्टाफ की संख्या एवं विवरण	
6. विशेष शिक्षकों की संख्या एवं उनकी सूची	

नाम एवं हस्ताक्षर
(अधिकृत व्यक्ति)